असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 26 मार्च, 2018 ई0
नवम् सत्र — 05 चैत्र, 1940(श0)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न संख्या: 2125 (डॉ0 शमीम अहमद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड के रामपुर पंचायत के सिसवनिया ग्राम में अवस्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार अनुमंडल के प्राथमिकताक्रम में 07 पर दर्ज है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-02 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई जा रही है । नरकटिया पंचायत के नरकटिया ग्राम में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । प्रश्नगत् कब्रिस्तानों में कोई अतिक्रमण नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किए जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रितान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

डॉ0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलान किया कि जो प्राथमिकता सूची में नहीं है तो उसका भी घेराबंदी करें तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो प्राथमिकता सूची में नहीं है, तो जब ऑर्डर हो गया है तो उसको एलान करें ताकि हमलोग घेरवा सकें उसको ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पहले यह नियम था योजना विभाग का कि जो प्राथमिकता सूची में है उसी को माननीय विधायक जी अगर देंगे तो लिए जाएंगे । अब उन्होंने रिलैक्सेशन करने का दिया है निर्देश कि जो प्राथमिकता सूची में नहीं है और माननीय विधायक अनुशंसा करते हैं तो वह भी टेकअप कर लिए जाएंगे ।

डॉ0 शमीम अहमदः धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2126 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार द्वारा दिनांक 2.10.2016 से राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा वित्त हेतु स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई थी जिसका नोडल विभाग शिक्षा विभाग, बिहार, पटना है ।

3- स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के संचालन में बैंकों के समुचित सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण योजना की आशातीत प्रगति नहीं हो सकी है । अतः योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार के द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया जा रहा है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है लेकिन भागीदारी नहीं हो रही है । लड़के पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन पैसा के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं । पहले वित्त निगम था तो उससे पैसा मिलता था लेकिन अब वित्त निगम डिफंक्ट हो गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार फिर से वित्त निगम चालू करने का विचार रखती है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वहीं से, अल्पसंख्यक वित्त निगम से दिया जाए ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः महोदय, मैंने तो स्पष्ट रूप से बताया कि पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बैंकों से लोन देने का काम किया जा रहा था लेकिन उसमें बैंक अभिरूचि नहीं ले रही थी तो सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अब शिक्षा वित्त निगम का गठन करके आसानी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई के लिए दिया जा सके, उसके लिए तो गठन किया जा रहा है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः अल्पसंख्यकों के लिए अलग से वित्त निगम का प्रावधान था पहले महोदय, तो अब शिक्षा वित्त निगम से क्रेडिट कार्ड देंगे तो क्या अल्पसंख्यक वित्त निगम पुनर्जीवित करके और उसी से यह क्रेडिट कार्ड इशु करेंगे ? यह मेरा आपसे कहना है । यह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल छात्रों से है तो अलग से अल्पसंख्यक वित्त निगम से बता रहे हैं माननीय सदस्य । यह शिक्षा विभाग से संबंधित है और वित्त निगम से लोन मिले या अल्प संख्यक वित्त निगम से मिले, दोनों का एक ही काम है । उनको लोन से मतलब है या छात्रों से मतलब है ?

श्री मो0 नेमतुल्लाहः शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हो रही है । इसलिए महोदय, 2015 में वित्त निगम का व्यवस्था किया गया, कंस्टिच्युट किया गया । तो इसीलिए अगर उनको यह सुविधा देना चाहती है सरकार और उनको बाहर पढ़ाना चाहती है तो उनको क्रेडिट